

अन्तिम डिक्री  
(आर्डर 20, रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)  
(Civil Procedure Code Appendix D-1)  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)  
व इजलास अर्चना चौधरी आर.ए.एस.

1. प्रेमचन्द यादव पुत्र लल्लूराम यादव जाति यादव निवासी 334, भूरा पटेल नगर, अजमेर रोड़  
जयपुर जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम  
1. सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सोमापुर (सोभापुर) तहसील  
नारनोल, जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा  
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

दावा बाबत : 53, 188, 209 आर.टी.एक्ट

प्रतिवादीगण


मुकदमा नम्बर : 80/2023

निर्णय दिनांक : 29/05/2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.02.2024 की पालना में मौका कमीशनर तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ़ स्थित वर्तमान ख0नं0 479 रकबा 2.1196 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होने पर कमीशनर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है। कमीशनर रिपोर्ट के साथ पेश संलग्न राजस्व मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	रंग
1	प्रेमचन्द पुत्र लल्लूराम यादव जाति यादव हि0 पूर्ण	479/1	1.0598	बारानी-2	गुलाबी
2	सुरेश चन्द पुत्र दुर्गा प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण हि0 पूर्ण	479/2	1.0598	बारानी-2	बैंगनी
	कुल योग	कुल किता 2	2.1196		

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/05/2024 को जारी की गई।

  
(अर्चना चौधरी)  
आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 80/2023

1. प्रेमचन्द यादव पुत्र लल्लूराम यादव जाति यादव निवासी 334, भूरा पटेल नगर, अजमेर रोड़ जयपुर जिला जयपुर राज0

वादी

## बनाम

1. सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सोमापुर (सोमापुर) तहसील नारनोल, जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.02.2024 की पालना में मौका कमीशनर तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा वाद पत्र में वर्णित ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ़ स्थित वर्तमान ख0नं0 479 रकबा 2.1196 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। अतः कमीशनर द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है व कमीशनर रिपोर्ट के साथ पेश संलग्न राजस्व मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	रंग
1	प्रेमचन्द पुत्र लल्लूराम यादव जाति यादव हि0 पूर्ण	479/1	1.0598	बारानी-2	गुलाबी
2	सुरेश चन्द पुत्र दुर्गा प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण हि0 पूर्ण	479/2	1.0598	बारानी-2	बैंगनी
	कुल योग	कुल किता 2	2.1196		

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(अर्चना चौधरी)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)